साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : विद्युतभवन, बेली रोड, पटना-21

बिहार सरकार का उपक्रम

CIN No. U40109BR2012SGC018890

संकल्प संख्या– 315 / दिनांक– 27-08-26 /

SB-IV/ CESA-Alleg-10098/2025

श्री अभिषेक सक्सेना, तदेन कनीय विद्युत अभियंता (E13549), विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बक्सर (पश्चिमी) को उपभोक्ता के परिसर में पाये गये वास्तविक लोड एवं दर्ज प्राथमिकी में लोड की गणना में अंतर पाये जाने, पैसों की अवैध लेन–देन करने, कर्त्तव्यहीनता एवं घोर कदाचार आदि के प्रथमदृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिये कार्यालय आदेश सं0–238 दिनांक–02.02.2026 द्वारा निलंबित किया गया एवं निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गयाजी (ग्रामीण) निर्धारित किया गया।

तदोपरान्त, श्री सक्सेना के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित करते हुए इस कार्यालय के पत्रांक–159 दिनांक–12.05.2026 द्वारा उनसे निम्न आरोपों हेतु कारण पृच्छा किया गया :–

1. "श्री अभिषेक सक्सेना, कनीय विद्युत अभियंता द्वारा श्री वेदव्यास उपाध्याय के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी में वर्णित भार के रूप में 04 पंखा, 08 बल्ब, 01 मोटर, 01 फ्रिज एवं 01 TV का उल्लेख किया गया है, जबकि श्री वेदव्यास द्वारा उनके आवास में 04 पंखा, 06 LED बल्ब, 01 मोटर, 01 फ्रिज, 01 TV, 01 आईरन, 01 मिक्सर, 1.5 टन का AC, 01 गिजर अधिस्थापित होने का बयान दिया गया है, जो लोड Calculation में विषमता (लगभग 4.25 किलोवाट) को दर्शाता है। श्री सक्सेना, कनीय विद्युत अभियंता द्वारा अभियुक्त को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से लोड की कम गणना की गई, जिससे कंपनी को राजस्व की हानि हुई। उनका उक्त कृत्य उनके कार्य में लापरवाही एवं गलत मंशा को दर्शाता है एवं BSEB Service Regualtion, 1976 के नियम 13 एवं 15 का उल्लंघन है।
2. श्री सक्सेना, कनीय विद्युत अभियंता द्वारा प्राथमिकी Manage करने हेतु श्री वेदव्यास उपाध्याय को श्री कन्हैया कुमार से बात करने को कहा गया। बात करने पर रू0 50,000/– की मांग की गई, जिसमें से रू0 25,000/– UPI के माध्यम से श्री विकास कुमार (MCR) को दिया गया, जिसे विकास कुमार द्वारा कनीय विद्युत अभियंता के कार्यालय में 6:30 बजे नकद लाकर कन्हैया कुमार को दिया गया। श्री सक्सेना के कार्यालय में उनके अधिनस्थों द्वारा अवैध राशि का लेन–देन किया जाना उनके कार्यालय प्रधान के रूप में कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं कदाचार के आचरण को दर्शाता है।

   श्री सक्सेना का उक्त कृत्य BSEB Service Regualtion, 1976 के नियम 13 का उल्लंघन है।"

श्री सक्सेना द्वारा उक्त कारण पृच्छा का समर्पित जवाब दिनांक–02.06.2026 को इस कार्यालय को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री सक्सेना द्वारा स्वीकार किया गया है कि विद्युत चोरी की छापेमारी के दौरान कमरे एवं किचन में महिलाओं को रहने के कारण अन्य लोड की जांच नहीं की

जा सकी। उक्त से स्पष्ट है श्री सक्सेना द्वारा पूरे परिसर में कनेक्टेड लोड की स्वयं जांच नहीं की गयी एवं उपभोक्ता के कथानानुसार ही लोड की गणना की गयी, जिससे जांच कमिटि द्वारा उपभोक्ता के परिसर में पाये गये वास्तविक लोड एवं दर्ज प्राथमिकी में लोड की गणना में अंतर पाया गया।

श्री सक्सेना द्वारा कहा गया है कि उपभोक्ता से प्रतिवेदित भार मे अनियमिता दर्शाने हेतु दवाब डाला गया, लेकिन उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु उपभोक्ता की स्वीकारोक्ति संबंधी कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

आरोप सं0–02 के संबंध में श्री सक्सेना द्वारा कहा गया है कि कंपनी के मुख्य मीटर अधिष्ठापन एजेंसी EDF के अन्तर्गत कन्हैया कुमार, Meter Installer एवं विकास कुमार, MRC (मेगा कैलिवर) के रूप में कार्यरत है। उक्त दोनों व्यक्ति के इनके अधीनस्थ कार्यरत होने का आरोप गलत है, लेकिन उक्त दोनों कर्मी द्वारा श्री सक्सेना के विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के अन्तर्गत भी कार्य किया जाता रहा है। उपभोक्ता श्री वेदव्यास उपाध्याय के विरूद्ध विद्युत चोरी के छापेमारी के दिन Recorded Video में इनके साथ कन्हैया कुमार, मीटर रिडर, चन्दन कुमार एवं चन्दन कुमार मानवबल, बक्सर (प0) भी उपस्थित थे। उपभोक्ता द्वारा कहा गया कि कनीय विद्युत अभियंता के कहने पर श्री कन्हैया कुमार को रू0 25,000/– नकद एवं उनके द्वारा दिये गये विकास कुमार के QR Code पर रू0 25,000/– का UPI के माध्यम से भुगतान किया गया। उक्त राशि को विकास कुमार द्वारा कन्हैया कुमार को विद्युत आपूर्ति प्रशाखा कार्यालय में दिये जाने का उल्लेख जांच प्रतिवेदन में किया गया है, जिससे उक्त प्राथमिकी दर्ज करने हेतु छापेमारी दल के साथ उपस्थित श्री कन्हैया कुमार के माध्यम से पैसा का अवैध लेन–देन किया जाना सत्य प्रतीत होता है, जो श्री सक्सेना के कार्यालय प्रधान के रूप में कर्त्तव्य की लापरवाही को दर्शाता है।

श्री अभिषेक सक्सेना, तदेन कनीय विद्युत अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, बक्सर (पश्चिमी) से प्राप्त जवाब एवं मामले से संबंधित उपलब्ध अभिलेखों की सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री सक्सेना के जवाब को संतोषप्रद नहीं पाते हुए उन्हें निलंबन मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड प्रदान किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है:–

1. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
2. निलंबन अवधि (दिनांक–02.02.2026 से 26.08.2026 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इसकी गणना देय सेवान्त लाभों के लिये की जायेगी।

तदनुसार, श्री अभिषेक सक्सेना, कनीय विद्युत अभियंता (निलंबित), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गयाजी (ग्रामीण) को निलंबन से मुक्त किया जाता है और उन्हें निम्नांकित दंड प्रदान किया जाता है:–

1. दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
2. निलंबन अवधि (दिनांक–02.02.2026 से 26.08.2026 तक) में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इसकी गणना देय सेवान्त लाभों के लिये की जायेगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री अभिषेक सक्सेना, कनीय विद्युत अभियंता (निलंबित) विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गयाजी (ग्रामीण) को भेज दी जाय।

सक्षम प्राधिकार के आदेश से,

ह0/–

(धीरेन्द्र कुमार)

उप सचिव

speed post

ज्ञापांक ...../ दिनांक ...../

प्रतिलिपिः– श्री अभिषेक सक्सेना, कनीय विद्युत अभियंता (निलंबित), विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गयाजी (ग्रामीण), पिन कोड–8230001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(धीरेन्द्र कुमार)

उप सचिव

ज्ञापांक ...../ दिनांक ...../

प्रतिलिपि : अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/कम्पनी सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(धीरेन्द्र कुमार)

उप सचिव

E-mail

ज्ञापांक 316 / दिनांक 27-08-26 /

प्रतिलिपि : महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0), बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, पटना/उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, गयाजी, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र, गयाजी/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, गयाजी/उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/अवर सचिव, प्रशाखा–III/वरीय प्रबंधक (आई0टी0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/विद्युत कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गयाजी (ग्रामीण)/लेखा पदाधिकारी (स्थापना/वेतनपर्ची), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वरीय प्रबंधक (आई0टी0) से अनुरोध है कि प्रस्तुत संकल्प की प्रति साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

3. विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, गयाजी (ग्रामीण) से अनुरोध है कि इस संकल्प की प्रति श्री अभिषेक सक्सेना, कनीय विद्युत अभियंता (निलंबित) विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, गयाजी (ग्रामीण) को हस्तगत करवाते हुए इसकी पावती अधोहस्ताक्षरी को अवश्य उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

4. अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–III से अनुरोध है कि श्री सक्सेना के पदस्थापन के संबंध में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा करें।

(धीरेन्द्र कुमार)
उप सचिव